स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 77, दिनांक 10–03–2024

अन्तर्राज्यीय स्तर पर गो–तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य व रू0 20,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अबुल कैश उर्फ कैश मोहम्मद गिरफ्तार।

दिनांकः 10–03–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद आजमगढ़ के थाना गम्भीरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 403/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 में वांछित/फरार अन्तर्राज्यीय स्तर पर गो–तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य व रू0 20,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी अबुल कैश को जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– अबुल कैश उर्फ कैश मोहम्मद उर्फ इरशाद पुत्र नन्हे अहमद उर्फ मोछू नि0 मोहम्मदपुर, भिटिया, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।

बरामदगीः–

1– 02 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः–

दिनांक 10–03–2024 को समय लगभग 15.30 बजे वाराणसी–आजमगढ़ मुख्य मार्ग स्थित रोहुआ तिराहा, थाना क्षेत्र गम्भीरपुर, आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़ एवं आस–पास के जनपदों से बिहार राज्य में गोवंश की तस्करी करने वाले गिरोह पर कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयो को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री संजीव कुमार दीक्षित पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री आशुतोष त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 प्रताप नारायण सिंह, मु0आ0 राकेश शर्मा, राजेश, शिवभोला शुक्ला आरक्षी चालक रईस अहमद की टीम जनपद आजमगढ़ में मौजूद थी, इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना गम्भीरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 403/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 में वांछित/फरार अन्तर्राज्यीय स्तर पर गो–तस्करी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य व रू0 20,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी अबुल कैश रोहुआ तिराहा, वाराणसी–आजमगढ़ मुख्य मार्ग के पास मौजूद है, इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहॅुचकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए अभियुक्त अबुल कैश को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अबुल कैश ने पूछताछ में बताया कि उसका एक गिरोह है जो अन्तर्राज्यीय स्तर पर गो–तस्करी का कार्य करता है। लगभग तीन माह पूर्व एक पिकप गाड़ी में क्रुरता पूर्वक गो–वंशीय पशुओं को लोड होने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस सम्बन्ध में थाना गम्भीरपुर में अबुल कैश व पप्पू यादव के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 08–12–2023 को गौ–वंशीय पशुओं की तस्करी के दौरान अपने सहयोगी पप्पू यादव के साथ मिलकर पुलिस टीम पर फायर करके भाग गया था, जिसमें पप्पू यादव को स्थानीय पुलिस द्वारा मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तार किया गया था और अबुल कैश फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 403/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधि0 में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

अबुल कैश का आपराधिक इतिहास :–

1– मु0अ0सं0 404/2023 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
2– मु0अ0सं0 403/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
3– मु0अ0सं0 323/2023 धारा 308, 323, 324, 504, 506 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
4– मु0अ0सं0 46/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
5– मु0अ0सं0 99/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
6– मु0अ0सं0 231/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना बरदह, आजमगढ़।
7– मु0अ0सं0 324/2022 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
8– मु0अ0सं0 14/2021 धारा 379 भादवि थाना रानी की सराय, आजमगढ़।
9– मु0अ0सं0 182/18 धारा 379 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
10– मु0अ0सं0 47/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 थाना बरहद, आजमगढ़।
11– मु0अ0सं0 29/2014 धारा 380 भादवि थाना तरवॉ, आजमगढ़।
12– मु0अ0सं0 217/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।
13– मु0अ0सं0 147/2008 धारा 323, 494, 498ए, भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
14– मु0अ0सं0 81/2022 धारा 504, 506 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।